न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या: 44/2025/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 06.02.2025
अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

पूरणमल मालव पुत्र स्व0 मोडू लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम देवली अरब, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा राज0

.....अपीलार्थी

बनाम

1. नन्दलाल मालव पुत्र मोडूलाल
2. राममूर्ति पुत्र स्व0 मोडूलाल
   निवासीगण ग्राम देवली अरब, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा राज0
3. तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक – अपीलार्थी
श्री अरमान अली, श्री दिलदार अली अभिभाषक – रेस्पो0 1 एवं 2

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 21/2024 प्रार्थी पूरणमल मालव प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2025 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपीलीय प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पूरणमल मालव पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज. द्वारा एक प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया है कि अपीलार्थी/प्रार्थी के पिता स्व० मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड के द्वारा दिनांक 02.07.2018 को पंजीबद्ध की गई वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाना चाहता है। जिनका स्वर्गवास दिनांक 16.01.2023 को हो चुका है। वसीयतनामा अनुसार मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड निवासी

10/06/25
अति. सं. आयुक्त
कोटा

देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज. की खातेदारी की ग्राम देवली अरब के आराजी खसरा नंबर 195 रकबा 0.37 है०, आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0.98 है०, आराजी खसरा नंबर 67 रकबा 0.67 है०, आराजी खसरा नंबर 193 रकबा 0.13 है०, आराजी खसरा नंबर 194/2 रकबा 0.17 है० आराजी खसरा नंबर 194 रकबा 0.01 है०, आराजी खसरा नंबर 973 रकबा 0.09 है०, आराजी खसरा नंबर 974 रकबा 0.02 है०, आराजी खसरा नंबर 975 रकबा 0.03 है०, आराजी खसरा नंबर 976 रकवा 0.07 है०, आराजी खसरा नंबर 977 रकबा 0.01 है०, आराजी खसरा नंबर 978 रकबा 0.29 है०, आराजी खसरा नंबर 979 रकबा 0.02 है०, आराजी खसरा नंबर 980 रकबा 0.40 है० कुल किता 14 रकबा 3.26 है० का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी पूरणमल मालव पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज के नाम खाते दर्ज करने हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निष्कर्ष दिया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक भूमि पर वारिसान का जन्म से ही अधिकार सृजित हो जाता है तथा वसीयतकर्ता द्वारा पैतृक सम्पति की वसीयत अन्य वारिसों की सहमति के बिना पूरणमल मालव पुत्र मोडूलाल जाति धाकड़ के पक्ष में कर दी, जो अनुचित है। पैतृक सम्पति में सभी वारिसान का जन्म से ही अधिकार सृजित हो जाता है और उसे पिता के जीवनकाल में ही पैतृक सम्पति पर अधिकार मांगने का हक हैं। अतः वर्णित सम्पति पर मृतक मोडूलाल पुत्र गोरीलाल के सभी वारिसान का जन्म से ही अधिकार हो गया है।

इस प्रकार अपीलार्थी पूरणमल मालव पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का नामांतरकरण मृतक मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ के दो पुत्र (1) नन्दलाल मालव व (2) पूरणमल मालव तथा एक पुत्री (3) राममूर्ति निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0 के नाम सम्भाग रूप से नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 13.01.2025 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के निर्णय दिनांक 13.01.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.01.2025 गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि मोडू लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा है तथा उसी राजस्व रिकार्ड में अन्य हिस्से भी अन्य क्रेताओं के

अति० सं. आयुक्त

नाम दर्ज है तो ऐसे में यह नही कहा जा सकता कि उपरोक्त सम्पत्ति पुश्तैनी हो और उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में वसीयत के आधार पर नही किया जा सकता हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर किये बिना ही निर्णय दिनांक 13.01.2025 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वसीयत पेश हुई है, उसमें मोडू लाल ने यह अंकित किया है कि उसने रेस्पोडेंट क्रम 1 को 3,50,000/– रुपये कि राशि दे दी है और अपीलार्थी ने उसकी सेवासुसरा की है और उसी से प्रसन्न होकर उपरोक्त वसीयत आलेखित कि है तथा वसीयत मोतबिर गवाहान अजय कुमार व नील कमल ने भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयत को पूर्णतया साबित किया है तथा वसीयत किसी प्रकार से खण्डित नही हुई है तो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो कि गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति मान कर भूल कारित कि है, चूंकि राजस्व रिकार्ड देखने से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त वसीयत की गई भूमि पैतृक नही है यदि भूमि पैतृक होती तो मोडू लाल के भाई–बहनों के नाम संयुक्त रुप से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होती लेकिन राजस्व रिकार्ड में मोडू लाल के भाई–बहनों के नाम उपरोक्त भूमि में दर्ज नही है तथा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही हुआ, जिससे उपरोक्त भूमि पैतृक साबित होती हो। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से परे जाकर निर्णय दिनांक 13.01.2025 पारित किया है, जो गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय को पंजीकृत वसीयत के आधार पर वसीयत को प्रमाणित करने वाले मोतबिर गवाहान की साक्ष्य लेने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने स्वविवेक से ही सम्पत्ति को पुश्तैनी मान कर वसीयत के मुताबिक नामांतरण दर्ज ना करके बल्की अपीलार्थी व रेस्पोडेंट क्रम 01 व 02 के नाम नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश दिये है, जो कि गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 01 व 02 को उपरोक्त सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार मानते हुए उनके नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिया है, चूंकि सम्पत्ति मोडू लाल जी के स्वयं के नाम की है और उनके द्वारा ही विधिक रुप से वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में की है तथा इसकी जानकारी रेस्पोडेंट क्रम 01 व 02 को भी रही है और यही कारण है कि उन्होने मोडू लाल जी की मृत्यु होने के दो वर्ष बाद भी कोई नामांतरकरण का आवेदन तहसीलदार लाडपुरा कोटा के यहां पेश नहीं किया लेकिन रेस्पोडेंट क्रम 03 ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर ना करके भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.01.2025 पारित किया है। अतः अपील

अति. सं. आयुक्त
कोटा

पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.01.2025 निरस्त फरमाया जावे तथा वसीयत दिनांक 02.07.2018 के मुताबिक मोडू लाल पुत्र गोरीराम उर्फ गोरी लाल के 1/6 हिस्से की वादग्रस्त कृषि आराजीयात का नामांतरकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज अमल करने का आदेश तहसीलदार लाडपुरा कोटा को फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते ही हुये कथन किया कि मोडू लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा की ही पंजीकृत वसीयत की गई है। मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड का दिनांक 16.01.2023 को स्वर्गवास हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति माना है जबकि वसीयत की गई भूमि पैतृक नही है यदि भूमि पैतृक होती तो मोडू लाल के भाई–बहनों के नाम संयुक्त रुप से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होती लेकिन राजस्व रिकार्ड में मोडू लाल के भाई–बहनों के नाम उपरोक्त भूमि में दर्ज नही है तथा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय न्यायालय में पेश नही हुआ, जिससे उपरोक्त भूमि पैतृक साबित होती हो। अधीनस्थ न्यायालय को पंजीकृत वसीयत के आधार पर वसीयत को प्रमाणित करने वाले मोतबिर गवाहान की साक्ष्य लेने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने स्वविवेक से ही सम्पत्ति को पुश्तैनी मान कर वसीयत के मुताबिक नामांतरण दर्ज ना करके बल्की अपीलार्थी व रेस्पोडेंट क्रम 01 व 02 के नाम नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये। रेस्पो0 क्र.1 नन्दलाल को अपने अधिकार तय कराने हेतु नियमित वाद सक्षम सिविल न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए था। रेस्पो0 क्र.1 नन्दलाल के द्वारा मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड का दिनांक 16.01.2023 को स्वर्गवास होने के उपरांत फौती नामान्तरकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया जाने पर तत्समय आपत्ति दर्ज करा दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में ही उक्त फौती इंतकाल खोल दिया गया। जबकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उक्त संपत्ति को रेस्पो0 क्र.1

26/6/25
संभागीय आयुक्त
कोटा

नंदलाल द्वारा पुश्तैनी साबित करना पड़ेगा। इस प्रकार वसीयतनामा मृतक खातेदार के द्वारा बंटवारा किये जाने के उपरांत पैतृक नहीं रहती। यदि रेस्पो0 के द्वारा प्रश्नगत आराजी को पैतृक कहा जा रहा है तो बंटवारा हेतु दावा करना पड़ेगा एवं साथ ही वसीयत को चैलेंज भी नहीं किया गया और न हीं वसीयत को फर्जी बताया। ऐसी स्थिति में पंजीकृत वसीयत को बिना सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही के अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार फौती नामांतरकरण के आवेदन के बिना ही अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है तथा अधिकारों के निर्धारण हेतु नियमित वाद में ही अधिकार तय किये जा सकते हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.01.2025 निरस्त किये जाने तथा वसीयत दिनांक 02.07.2018 के मुताबिक मोडू लाल पुत्र गोरीराम उर्फ गोरी लाल के 1/6 हिस्से की वादग्रस्त कृषि आराजीयात का नामांतरकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज अमल करने का आदेश तहसीलदार लाडपुरा कोटा को फरमाये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा स्वयं अपील मीमो में पैतृक संपत्ति होना स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 काबिज है एवं उक्त आराजी पैतृक होने से उक्तानुसार इंतकाल खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय रेस्पो0 की सहमति नहीं ली है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध वसीयत, प्रार्थी व गवाहान की साक्ष्य, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, शपथ पत्र गवाहान, वारिसान पत्र तथा जमाबन्दीयात का अवलोकन किया जाकर ही ग्राम देवली अरब की जमाबन्दी मे मृतक मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड का हिस्सा दर्ज होने पर वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक संपति होना मानते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण मृतक मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ के दो पुत्र (1) नन्दलाल मालव व (2) पूरणमल मालव तथा एक पुत्री (3) राममूर्ति निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0 के नाम सम्भाग रूप से नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 13.01.2025 पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा अपीलार्थी पूरणमल मालव पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अस्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण मृतक मोडूलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ के दो पुत्र (1) नन्दलाल मालव व (2) पूरणमल मालव तथा एक पुत्री (3) राममूर्ति निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0 के नाम सम्भाग रूप से नामांतरकरण दज़ करने का आदेश दिनांक 13.01.2025 पारित किया गया। अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति माना है जबकि वसीयत की गई भूमि पैतृक नही है यदि भूमि पैतृक होती तो मोडू लाल के भाई–बहनों के नाम संयुक्त रुप से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होती लेकिन राजस्व रिकार्ड में मोडू लाल के भाई–बहनों के नाम उपरोक्त भूमि में दर्ज नही है तथा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही हुआ, जिससे उपरोक्त भूमि पैतृक साबित होती हो। साथ ही पंजीकृत वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेंज किये बिना अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार फौती नामांतरकरण के आवेदन के बिना ही अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है तथा अधिकारों के निर्धारण हेतु नियमित वाद में ही अधिकार तय किये जा सकते हैं। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 काबिज है एवं उक्त आराजी पैतृक होने से उक्तानुसार इंतकाल खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक संपति होना मानते हुए वारिसान के नाम सम्भाग रूप से नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 13.01.2025 पारित किया गया।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के पिता द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् रजिस्टर्ड वसीयत तस्दीक की गयी। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने की चाराजोही करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फौती नामांतरकरण खोलने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा उक्त निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पारित किया जाना प्रकट होता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि "वसीयत की गई भूमि पैतृक है। स्वअर्जित होना ज्ञात नहीं है।"

अति. सं. आयुक्त
कोटा

उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा स्वअर्जित होना ज्ञात नहीं होने के आधार पर भूमि को पैतृक वर्णित किया गया जिसे आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा निर्णय दिनांक 13.01.2025 पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के पक्ष में की गयी वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है, जिसे निरस्त कराने बाबत् सिविल न्यायालय में रेस्पो0 द्वारा कोई चाराजोही नहीं करना प्रकट होता है। रजिस्टर्ड वसीयत से आपत्ति होने पर उसे सिविल न्यायालय में निरस्त कराना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को पुश्तैनी होने के संबंध में किसी भी प्रकार की जाँच किये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पुश्तैनी मानकर नामान्तरकरण तस्दीक करने में त्रुटि करना प्रकट होता है।

8. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से विवादित आराजी का पुश्तैनी होना सिद्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा प्रकरण संख्या 21/2024 प्रार्थी पूरणमल मालव प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2025 विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, लाड़पुरा कोटा को इन दिशा–निद्रेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का पुनः 1 माह में समुचित परीक्षण कर, विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करें।

9. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/06

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा